न्यायालय-विशेष न्यायाधीश **(**एस.सी./एस.टी.**)** एक्ट**,** भदोही-ज्ञानपुर।

<u>प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या-**33/2026**</u>

UPSN010005382026

सुरेश कुमार गौतम उम्र त० 46 वर्ष पुत्र देवनाथ गौतम निवासी महुआपुर, थाना-सुरियांवॉ, जनपद-भदोही। ....प्रार्थी

बनाम

1- दिनेश कुमार उपाध्याय उम्र त० 65 वर्ष पुत्र स्व० रमाशंकर

2- सुभा देवी उपाध्याय उम्र त० 62 वर्ष पत्नी दिनेश कुमार उपाध्याय

3- अरविन्द कुमार उपाध्याय उर्फ गुड्डू उम्र त० 45 वर्ष पुत्र दिनेश

4- नम्रता देवी उपाध्याय उम्र त० 43 वर्ष पत्नी अरविन्द उपाध्याय

5- आकाश उपाध्याय उम्र त० 24 वर्ष
6- आदर्श उपाध्याय उम्र त० 22 वर्ष
पुत्रगण अरविन्द उपाध्याय

7- आशीष उपाध्याय उम्र त० 42 वर्ष पुत्र दिनेश उपाध्याय

8- सुनीता देवी उपाध्याय उम्र त० 40 पत्नी आशीष उपाध्याय

9- आर्यन उपाध्याय उम्र त० 21 वर्ष पुत्र आशीष उपाध्याय

समस्त निवासीगण महुआपुर, थाना-सुरियांवॉ, जनपद-भदोही।

...अभियुक्तगण

घटना दिनांक 23.01.2026
समय लगभग 8:00 बजे सुबह
घटनास्थल - सेहन दरवाजा,सेहन दरवाजा प्रार्थी
व प्रार्थी के घर के अन्दर
जुर्म दफा-191(2), 191(3), 190, 115(2),
352, 351(2), 324(4), 74, 75, 76, 107 बी०एन०एस०
व 3(1) द, 3(1) ध एस.सी/एस.टी एक्ट
थाना-सुरियांवॉ, जनपद-भदोही।

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-**173(4)** बी०एन०एस०एस०</u>

<u>दिनांक **10.03.2026**</u>

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में सुना जा चुका है ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का दिया गया कि प्रार्थी

सुरेश गौतम पुत्र देवनाथ गौतम निवासी महुआपुर, थाना-सुरियांवॉ, जनपद-भदोही का रहने वाला गरीब अनुसूचित जाति का चमार मजदूर व्यक्ति है। यह कि जो किसी तरह खेती गृहस्थी करके अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करता चला आ रहा है, प्रार्थी का पता उपरोक्त पूर्वजी मकान है। जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वाले निवास करते है। यह कि उक्त भूमि से अन्य किसी दीगर व्यक्ति से कोई वास्ता सरोकार न कभी था न है। दिनांक: 23.01.2026 को समय करीब 08:00 बजे सुबह दिनेश उपाध्याय पुत्र स्व० रमाशंकर उपाध्याय व गुड्डू उर्फ अरविन्द उपाध्याय व आशीष उपाध्याय निवासीगण महुआपुर, थाना-सुरियांवॉ, जनपद-भदोही एकराय होकर प्रार्थी के घर के सामने आकर प्रार्थी को चमार सियार की जाति व माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे और कहने लगे कि साले चमाड़िया तुम्हारी औकात कि तुमने मेरे खेत की तरफ अपना दरवाजा लगाया है। यह कि प्रार्थी ने कहा कि आप लोग गाली मत दीजिए आपलोग अपने खेत का नाप करा लीजिए अगर मेरा घर आपके जमीन में पड़ता है तो प्रार्थी अपना दरवाजा सदैव के लिए बन्द कर दूँगा। प्रार्थी अपने घर के दरवाजे के तरफ लगभग 08 फीट जमीन छोड़ा है। यह कि इतने में दिनेश उपाध्याय व आशीष उपाध्याय व गुड्डू उर्फ अरविन्द उपाध्याय ने ललकारते हुये कहा कि चमाड़िया सियार तुम्हारी औकात कि हमलोगो से जुबान लड़ाते हो तुम्हारे आजा-बाबा हमलोगो के यहां मजदूरी करते थे और हमेशा जमीन पर हमलोगो के सामने चारपाई पर नही बैठते थे और हमलोगो का मान-सम्मान करते थे। यह कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो मारो साले, चमाड़िया को इतने में सभी लोग प्रार्थी को लात, मुक्का व थप्पड़ से मारने पीटने लगे तथा प्रार्थी का कालर पकड़कर गर्दन दबाने लगे तो प्रार्थी अपनी जान बचाने के लिए जोर-जोर से चिल्लाने लगा आवाज सुन करके प्रार्थी को बचाने प्रार्थी की पत्नी सुमन देवी दौड़ी तो दिनेश उपाध्याय ने प्रार्थी के पत्नी का साड़ी पकड़ लिया जिससे प्रार्थी की पत्नी की साड़ी फट गयी। यह कि शोर गुल सुन करके दिनेश उपाध्याय की पत्नी सुभा देवी उपाध्याय व आशीष उपाध्याय की पत्नी सुनीता देवी उपाध्याय व अरविन्द उर्फ गुड्डू की पत्नी नम्रता देवी उपाध्याय व आशीष का लड़का आर्यन उपाध्याय व अरविन्द का लड़का आकाश व आदर्श घटना स्थल पर आ गये वे लोग भी प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी सुमन को चमार, चमाईन, चमाड़िया, व माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुये कहे कि इतना मार मारो कि किसी को दिखाने लायक न रहे तो प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी सुमन को सभी लोग लात, मुक्का व थप्पड से मारने लगे। यह कि प्रार्थी की पत्नी सुमन को आशीष उपाध्याय ने जोर से सीना पर मारते हुये स्तन को दबा करके ढकेल दिया। यह कि जिससे प्रार्थी की पत्नी जमीन पर गिर गयी तो प्रार्थी की पत्नी सुमन की साड़ी को सभी लोग खीचने लगे, प्रार्थी की पत्नी अर्धनग्न हो गयी प्रार्थी की पत्नी अपनी इज्जत व जान बचाने के लिए जोर-जोर से चिल्लाते हुये अपने घर मे भागी तो सभी अभियुक्तगण प्रार्थी को मारते-पीटते हुये प्रार्थी के घर के अंदर आ गये और प्रार्थी की पत्नी को मारे-पीटे तथा घर में रखा घर गृहस्थी का सामान तोड़-फोड़ दिये तब

काफी शोर होने के कारण सपना व रेशमा व अन्य बहुत से लोग आ गये तब किसी तरह झगड़ा शान्त हुआ। यह कि सभी विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुये कहे कि चमाड़िया सियार आज ही तुम अपना दरवाजा बन्द कर लो नही तो तुम्हे तथा तुम्हारे परिवार वालों को जिन्दा जलवाकर जान से मार डालेंगे तब सूचना पर थाना सुरियावॉ की पुलिस आयी, पुलिस प्रार्थी को गाड़ी में बैठाकर थाना सुरियावॉ ले आयी और विपक्षीगण के दबाव में प्रार्थी का अन्तर्गत धारा-170/135/126 बी०एन०एस०एस० में चालान करा दिये और न ही प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज किये तथा न ही कोई कार्यवाही किये। यह कि तब प्रार्थी ने S.P. भदोही को उपरोक्त घटना की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक दिया। यह कि अभियुक्तगण ने असंज्ञेय अपराध कारित किया है। इसके बावजूद भी पुलिस थाना सुरियावॉ प्रार्थी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। यह कि प्रार्थी व्यक्गित रूप से मुकदमा लड़ पाने में असमर्थ है। यह कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का चमार है तथा अभियुक्तगण सामान्य जाति के ब्राम्हण है। यह कि उक्त घटना के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज करके विवेचना कराया जाना मुनासिब एवं न्यायसंगत है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थाना सुरियावॉ को आदेश हो कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करके, कार्यवाही / विवेचना सम्पादित करके, विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित किया जाये ताकि न्याय हो।

पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है की प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पुलिस अधीक्षक, जनपद भदोही को भेजे गए प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व रजिस्टर्ड डाक की रसीद, आदेश अंतर्गत धारा 130 बी.एन.एस.एस. की प्रति, चालानी रिपोर्ट अंतर्गत धारा 170/126/135 बी.एन.एस.एस. की प्रति, जनसुनवाई (आई.जी.आर.एस.) की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रति तथा आधार कार्ड की प्रति भी प्रेषित की गई है। इस न्यायलय के आदेश के अनुक्रम में रिपोर्ट थाना सुरियावॉ, जनपद भदोही पत्रावली के साथ संलग्न है। थाने की आख्या का अवलोकन किया।

थाने की आख्यानुसार आवेदक द्वारा विपक्षी दिनेश कुमार उपाध्याय आदि के आराजी नंबर 209 भूमिधरी जमीन के तरफ दरवाजा खोला गया है व विपक्षी के भूमिधरी जमीन के तरफ बाउंड्री अपना तोड़कर बरामदा बना कर कब्जा करना चाहता है इसी बात को लेकर विपक्षीगणो द्वारा विरोध किया गया कि आप अपना अवागमन के बरामदा व रास्ता उनके जमीन के तरफ क्यों कर दिए हैं। इसी पेशबंदी में आवेदक द्वारा विपक्षीगणो के विरुद्ध झूठा व मनगढंत आरोप प्रत्यारोप लगाकर प्रार्थना पत्र दिया गया है। प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में ग्रामवासी धीरेन्द्र कुमार व महेंद्र कुमार से पूछताछ किया गया तो आरोप को झूठा व मनगढंत बताया गया, तथा ग्रामवासियों से गोपनीय तरीके से पूछताछ किया गया तो झूठा व मनगढंत बताया गया। आरोपों की पुष्टि नहीं हो पायी। उभयपक्षों के मध्य तनाव को देखते हुए दिनांक 23.01.2026 को धारा 170, 126, 135 B.N.S.S. की

कार्यवाही की गई तथा आवेदक द्वारा थाना स्थानीय पर कोई उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है, न ही थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत है।

प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी के कथनानुसार विपक्षीगण ने प्रार्थी/ परिवादी व उसकी पत्नी के साथ मार पीट की, उन्हें गाली दी, उन्हें जाति सूचक शब्दों से सार्वजानिक स्थान पर अपमानित किया, उनके घर के सामान को नुक्सान पहुंचाया । पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा घटना के सन्दर्भ में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए दिनांक 28-01-2026 को पुलिस अधीक्षक, जनपद भदोही को रजिस्ट्रीकृत डाक से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था, जिसकी छायाप्रति रजिस्ट्री रसीद सहित फेहरिस्त के साथ पत्रावली पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा उप-जिला मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा स्वयं (प्रार्थी) की चालानी किये जाने के बाबत चालानी रिपोर्ट की प्रति तथा जनसुनवाई हेतु आई.जी.आर.एस. प्रणाली पर प्रेषित शिकायत (सन्दर्भ संख्या :- 40019826002186) की प्रति व स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की प्रति भी अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की गई है। जैसा थाने की आख्या में कथन किया गया है कि "..आवेदक द्वारा थाना स्थानीय पर कोई उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है.." तो यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि "..सूचना पर थाना सुरियावॉ की पुलिस आयी, पुलिस प्रार्थी को गाड़ी में बैठाकर थाना सुरियावॉ ले आयी और विपक्षीगण के दबाव में प्रार्थी का अन्तर्गत धारा-170/135/126 बी०एन०एस०एस० में चालान करा दिये.." इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त स्थिति में प्रार्थी घटना के सूचना के बाबत सम्बंधित थाने में रिपोर्ट नहीं दे पाया। परन्तु प्रार्थी द्वारा घटना के सम्बन्ध में पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण जरिये रजिस्टर्ड डाक पुलिस अधीक्षक, भदोही को प्रेषित किया गया है, अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस द्वारा विवेचना कराकर साक्ष्य संकलित कराया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है। प्रार्थी/ परिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/ परिवादी सुरेश कुमार गौतम पुत्र देवनाथ गौतम का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष-सुरियावॉ को आदेशित किया जाता है कि सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 10.03.2026

(डॉ० अमित वर्मा)
आई. डी.–यू.पी.2412
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.03.31 15:19:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court